राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ20(101/13)आयों/आकाशि/2018–19/ 450-451 दिनांक : 9/10/2020

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय,
राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय– राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 6 की क्रियान्विति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार ''प्रदेश में सभी सरकारी विद्यालय एवं महाविद्यालय में छात्राओं के सेनेटरी नेपकिन मुफ्त उपलब्ध करवाये जायेंगे'' उक्त घोषणा के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि महाविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को निम्न दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।

01. सेनेटरी नेपकिन क्रय किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) या भामाशाह से सहयोग अथवा छात्रनिधि मद या महाविद्यालय विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकता है।

02. सेनेटरी नेपकिन के वितरण हेतु महाविद्यालय के संकाय सदस्य को प्रभारी बनाते हुए उक्त जन घोषणा की क्रियान्विति महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ (Women Cell) के माध्यम से की जा सकती है।

03. छात्राओं की Gender sensitivity को मध्यनजर रखते हुए सेनेटरी नेपकिन का वितरण Girl Common Room से किया जावे साथ ही वितरण पंजिका का संधारण करते हुए छात्रा से प्राप्ति हस्ताक्षर करवाये।

04. यह सुनिश्चित किया जावें कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में से लगभग 50 प्रतिशत छात्राएं इस योजना से आवश्यक रूप से लाभान्वित हो।

05. उक्त घोषणा की प्रगति रिपोर्ट प्रति 06 माह में आयोजना शाखा की ई–मेल आई.डी. Jdplan.cce@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक, आयोजना
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा।

क्रमांकः एफ20(101/13)आयों/आकाशि/2018–19/ 450-451 दिनांक : 9/10/2020

प्रतिलिपि :– वेब प्रभारी आयुक्तलाय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

दीपाली भार्गव

(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक, आयोजना